रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224019 CG-DL-E-30122020-224019

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] No. 674] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2020/पौष 9, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2020/PAUSHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सं. 95/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 809(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 80 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को, वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक विवरणी के लिए, 28.02.2021 तक विस्तार करते हैं।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/13/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

6444 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2020

No. 95/2020-Central Tax

G.S.R. 809(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2019-20 till 28.02.2021.

[F. No. CBEC-20/06/13/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director